Date ___/___/___

बुद्धि विवेक तथा तर्कशक्ति को भी अपनी अशिक्षा के कारण भली प्रकार प्रयोग नहीं कर पाते है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि चाहे कोई ग्रामीण व्यक्ति कितना ही समझदार या बुद्धिमान, दूरदर्शी आदि हो, यदि वह शिक्षित नहीं है तो उसे अपेक्षाकृत सामाजिक सम्मान कम प्राप्त होता है। इस प्रकार वह दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित अनुभवों से लाभ नहीं उठा पाता है और न ही उसे समाज में अधिक सम्मान पूर्ण स्थिति प्राप्त हो पाती है। इस प्रकार हम कह सकते है कि अशिक्षा अनेक समस्याओं की जड़ है।

STOP

II. बंधुआ मजदूर (Bonded labour) :— भारत की सामाजिक आर्थिक और समानता-ओं के ढाँचे में आदमी के द्वारा आदमी के ऊपर शोषण के चलते साहूकार – कर्ज देने वाले, मालिक-नौकर सम्बन्ध विकसित हुए है। सदीयो से सत्ता, कानून और धर्म के नाम पर पीढ़ी दर पीढ़ी जातिप्रथा को बढ़ावा मिलता रहा है। शायद विश्व का कोई अन्य समाज भौतिक रूप से अपने बिते हुए काल से आक्रांत नहीं दिखता है। जितना की भारतीय समाज है। शोषण और बंधुआ मजदूरी का यहाँ लम्बा इतिहास बना हुआ है। कर्ज के चलते बंधुआ मजदूरी सबसे ज्यादा प्रचलित रही है। भारत के विभिन्न भागों में बंधुआ मजदूर विभिन्न नामों से जाने जाते है। हिमाचल प्रदेश में जीता, उत्तरप्रदेश में सेवक, बिहार में कमिया, बारह-मासिया या जानव, गुजरात में हाली, उड़ीसा में हालिया, तमिलनाडु में पनियान, केरल में कोठी, मध्य-प्रदेश में जीता, पश्चिम बंगाल में चाकर, राजस्थान में सागरी, महाराष्ट्र में बेगार, जैसे शब्द प्रचलित है। बंधुआ मजदूरी की प्रथा पूरे ग्रामीण भारत में तथा कुछ जनजातिय क्षेत्रों में प्रचलित है।

Scanned with CamScanner

शोषण की संस्कृति के पीछे सभी तरह के शोषण और उत्पीड़न है। सिर्फ बंधुआ मजदूरी ही नहीं, बच्चों से बेगार और बंधुआ औरतों का यौन - शोषण आदि सभी बंधुआ मजदूरी का ही हिस्सा है। यद्यपि संविधान के अनुसार बल पूर्वक मजदूरी करवाना पूर्णत: प्रतिबंधित है फिर भी यह प्रथा सदियों से जीवित है और आज भी प्रचलित है। भारत सरकार ने बंधुआ मजदूरी समाप्ति अधिनियम (1976) के माध्यम से ऋणग्रस्तता के कारण हुई बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने का प्रयास किया। इस अधिनियम के धारा संख्या 2, धारा g में बंधुआ मजदूरी को जबरजस्ती या आंशिक रूप से जबरजस्ती से कराया गया श्रम माना है जिसमें एक अनुबंध (Agreement) के तहत कर्जदाता निम्न शर्तों के साथ बांधा होता है :—

i. यदि कर्जदार या उसके उत्तराधिकारियों ने कोई अग्रिम लिया है और (यह अग्रिम लिखित या अलिखित समझौते के तहत हो सकता है) इस अग्रिम पर ब्याज की राशि बाकी हो।

ii. कोई सामाजिक या परंपरिक बंधयता हो।

iii. यदि उत्तराधिकार में उस पर पूर्वजों की कोई बाध्यता हो।

iv. किसी आर्थिक बाध्यता के लिए जो उसे पूर्वजों से मिली हो,

v. यदि किसी विशेष समूह या जाति में उनका जन्म हुआ हो

a. तो वह स्वयं के द्वारा या परिवार के सभी सदस्य या, स्वयं पर आश्रित अन्य व्यक्तियों के द्वारा कर्ज दाता की एक निश्चित या अनिश्चित समय सीमा तक, मजदूरी के एवज में बेगारी सेवा करेगा।

b. वह अपनी अजीविका के लिए एक निश्चित या कभी-कभी अनिश्चित सीमा तक रोजगार की स्वतंत्रता भी गिरवी रख चुका होता है।

c. उसका भारत में कहीं आने - जाने का अधिकार

Scanned with CamScanner